तारीख हुक्म	**न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, सीकर** **विशिष्ट प्रकरण संख्या 290/2023** **उनवानी राजस्थान राज्य बनाम हणमान व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.2026	1. श्री सांवरमल बिजारणियां, विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त हणमान व गुडडु वरजमानत मय अधिवक्ता श्री सत्यवीर सिंह चौधरी, अभियुक्त रामचन्द्र वरजमानत मय अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह काजला तथा अभियुक्त बिल्लू वरजमानत मय अधिवक्ता श्री मोहम्मद आरिफ उपस्थित। अभियुक्त धर्मेन्द्र अनुपस्थित है। 2. अभियुक्तगण हणमान, गुडडु, रामचन्द्र व बिल्लू के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लिए गए। साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नही करना चाहते है। 3. अभियुक्त धर्मेन्द्र अनुपस्थित। बार–बार आवाजें लगवाई गई लेकिन अभियुक्त उपस्थित नही आया एवं न ही उसकी ओर से कोई हाजरी माफी का आवेदन प्रस्तुत हुआ। इस समय 12:30 पी.एम. का समय हो चुका है। अभियुक्त धर्मेन्द्र के जमानत मुचलके जब्त सरकार किए जाते है। अभियुक्त के विरूद्व धारा 491 बीएनएसएस की कार्यवाही पृथक से खोली जावे। अभियुक्त धर्मेन्द्र को जरिये गिरफतारी वारण्ट से तलब किया जावे। अभियुक्त के गिरफतारी वारण्ट पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लक्षित प्रकरण है अतः तामील विशेष वाहक से आवश्यक रूप से करवाए। 4. पत्रावली तलबी अभियुक्त धर्मेन्द्र हेतु दिनांक 16.06.2026 को पेश हो। 13.6.26 विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण, सीकर (राज.)	बिल्लू रामचन्द्र हणमान गुड्डु